दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनायक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–1100017

वेबसाइटः www.derc.gov.in

टेलीफैक्सः+91-11-26673608, +91-11-41080417

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली की **बिजली वितरण कंपनियों** द्वारा वित्तवर्ष 2016–17 के व्ययों के सत्यापन और कुल राजस्व आवश्यकताओं एवं वित्त वर्ष 2018–19 के टैरिफ के लिए दायर याचिकाएं ।

1. वितरण लाइसेंसधारी, जैसे बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) (''याचीकाकर्ताओं'' के रूप में संदर्भित) ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (''डीईआरसी'' अथवा ''आयोग'') के समक्ष वित्तवर्ष 2016–17 के व्ययों के सत्यापन और कुल राजस्व आवश्यकताओं एवं वित्तवर्ष 2018–19 के टैरिफ के अनुमोदन के लिए संबंधित याचिकाएं दायर की हैं।

2. याचिकाकर्ताओं ने अपनी संबंधित याचिकाएं विद्युत अधिनियम, 2003, दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000, डीईआरसी (चक्रीय टैरिफ एवं खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2007, डीईआरसी (चक्रीय टैरिफ एवं खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2011 और आयोग द्वारा जारी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत दायर की हैं। आयोग ने अपने आदेश तारीख 26/12/2017 के तहत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया जो स्पष्टीकरणों/अतिरिक्त सूचनाआ के अधीन, यदि कोई हो, जिन्हें समय समय पर मांगा जा सकता है।

3. आयोग ने याचिकाओं का संक्षिप्त किया है और इन याचिकाओं का कार्यकारी सारांश अपनी वेबसाइट http://derc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है।

4. आयोग ने, डीईआरसी (व्यापार का विस्तृत आचरण) विनियम, 2001, के प्रावधानों के तहत, उपरोक्त याचिकाओं पर उपभोक्ताओं एवं अन्य हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करना चाहता है। **टिप्पणियों/सुझावो को 31/01/2018 तक उपरोक्त कार्यालय पते पर आयोग के सचिव को भेजा जा सकता है।** आयोग को टिप्पणियां व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा या ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां डीईआरसी के सचिव को ईमेल पते secyderc@nic.in पर ई–मेल की जा सकती हैं।

5. आयोग हितधारकों के साथ जनसुनवाई भी आयोजित करेगा और सुनवाई की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी।

6. आयोग याचिकाओं की जांच करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो, याचिकाकर्ताओं से आगे स्पष्टीकरण, मांगेगा। एक आदेश के रूप में, आयोग विवेकपूर्ण जांच के बाद एआरआर और राजस्व का अनुमोदन

करेगा। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद ही याचिकाओं पर आदेश जारी किए जाएंगे।

7. हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, आयोग उपभोक्ताओं को याचिकाओं को समझने में सहायता कर सकता है और इस संबंध में टिप्पणी दर्ज करने में उनकी सहायता भी कर सकता है। तद्नुसार, आयोग ने, ऐसे सभी उपभोक्ताओं, जिनको आवश्यकता हो, को अनिवार्य सहायता देने के लिए निम्न अधिकारियों को मनोनीत किया हैं। पूर्व अपॉइंटमेंट के बाद विचार विमर्श किया जा सकता है।

   - श्री प्रशांत कुमार, संयुक्त निदेशक (टैरिफ–वित्त) फोन नं. - 011 26680433
   - श्री मुकेश वाधवा, संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) फोन नं.- 011 26673604
   - श्री संजय शर्मा, संयुक्त निदेशक (पीएसएंडई) फोन नं.- 011 26680734

8. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई पूर्ण याचिकाएं आयोग की वेबसाइट (www.derc.gov.in) और याचिकाओं की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती हैं। याचिका की सॉफ्ट कॉपी 25 रुपये प्रति सीडी के भुगतान पर सीडी में हासिल की जा सकती है अथवा संबंधित याचिकाकर्ता के मुख्य कार्यालय पर 29/12/2017 से 31/01/2018 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे और सायं 4.00 बजे के बीच या तो 100/– रुपये के नकद धनराशि देकर अथवा नई दिल्ली में भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के भुगतान पर याचिका की प्रति प्राप्त की जा सकती है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

बीएसईएस यमुना पॉवर लिमि. शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली – 110 092 वेबसाइटः www.bsesdelhi.com फोनः 011-39999204	बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमि. बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस नई दिल्ली – 110 019 वेबसाइटःwww.bsesdelhi.com फोनः 011-39999812
टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमि. सबस्टेशन भवन, हडसन लाइन्स, किंगसवे कैंप, नई दिल्ली – 110 009 वेबसाइटः www.tatapower-ddl.com फोनः 011-66112222	

ह./–

(सुरेंद्रा इडुपघंटी)

सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग